संलग्नक–'ब'
प्रधानाध्यापक हेतु प्रति

उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत तथा उधम सिंह नगर जनपदों में विद्याज्ञान स्कूल शैक्षिक वर्ष 2024–25 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को आयोजित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु मार्गदर्शिका

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड तथा शिव नाडर फाउंडेशन के मध्य समझौता ज्ञापन (विवरण संलग्न) तथा विस्तारित प्रक्रिया अर्न्तगत विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक वर्ष 2024–25 हेतु नियत प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा हेतु उपरोक्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (निजी विद्यालय–मान्यता/पंजीकरण संख्या का विवरण सहित) से कक्षा 3, 4 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। (एस0आर0 क्रमांक सम्बन्धी विवरण अनिवार्य है) प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमन्य होता है। प्रथम वार आवेदन कर रहे समस्त पात्र विद्यार्थियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि विद्याज्ञान में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 20 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे।
2. यदि आवेदन–पत्र कम पड़ जाते हैं अथवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध रिक्त आवेदन–पत्र की प्रति (छात्र हेतु बालक तथा छात्राओं हेतु बालिका प्रथक–प्रथक) से फोटो स्टेट कराकर अथवा इन्टरनेट www.vidyagyan.in/admissions से उपयुक्त आवेदन पत्र डाउनलोड कर अथवा उसकी छायाप्रति पर भी आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जाकर आवेदन किया जा सकता है। छायाप्रति आवेदन–पत्र एवं छायाप्रति प्रवेश पत्र पर मूल नम्बर के पश्चात् विकास खण्ड का नाम अंकित कर नया क्रमांक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
3. आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक उपरोक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हों और जिसकी पुष्टि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से होती हो, आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय (माता एवं पिता दोनों की आय सम्मिलित करते हुए) **दो लाख रूपये से अधिक न हो** (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय तथा ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन मान्य नहीं है।
4. विद्याज्ञान में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदक विद्यार्थी की दिनांक 31 मार्च, 2024 को आयु : बालकों हेतु आयु : न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष तथा बालिकाओं हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष से अधिक न हो। (बालक आवेदक जिनका जन्म 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2013 तथा बालिकाओं हेतु 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2012 के मध्य हुआ हो, ही आवेदन हेतु पात्र हैं) आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नम्बर का विवरण तथा कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र सम्बन्धी समस्त विवरणों का 'डिजिटीकरण' किया जाता है।
5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सीमा अर्न्तगत स्थित किसी भी प्रकार के विद्यालय के विद्यार्थी प्रारम्भिक लिखित परीक्षा तथा तदुपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।
6. कृपया इंटरनेट से डाउनलोड/मूल आवेदन पत्र अथवा छायाप्रति आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र पूर्ण एवं त्रुटिरहित है। किसी भी दशा में अपात्र विद्यार्थी का आवेदन अग्रसारित नहीं करें। आवेदन पत्र को विद्यालय की प्रेषण पंजिका में दर्ज करने के उपरान्त ही खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करें। आवेदन–पत्र के साथ आवेदक की पहचान हेतु फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र स्थायी निवास तथा आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर (प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदन पत्र की संख्या तथा दूरभाष संख्या लिखकर) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 तक अवश्य जमा करा दें। आवेदन की एक प्रति विद्यालय तथा एक प्रति विद्यार्थी के उपयोगार्थ सुरक्षित रख लें।
7. आवेदक विद्यार्थियों के मध्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मॉडल उत्तर पत्रक (OMR Sheet) एवं प्रश्नावली (यह नमूना ही है और परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली प्रश्नावली एवं उत्तर पुस्तिका से भिन्न हो सकती है) पर अभ्यास कराने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अत्यन्त युवा विद्यार्थी नई परीक्षा प्रणाली से परिचित हो जायें। कक्षा 3, 4 तथा 5 हेतु प्रचलित पाठ्यक्रम – भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, अभिरूचि (Aptitude) तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है। प्रारम्भिक परीक्षा के मूल्यांकन तथा इण्टरनेट पर घोषित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का परिणाम तथा उसके आधार पर मुख्य परीक्षा में भाग लेने हेतु सूचना डाक द्वारा सूचना पत्र एवं प्रथक आवेदन पत्र का प्रारूप प्रथक से प्रेषित किया जाता है। अतः ग्राम के पोस्ट ऑफिस एवं पोस्ट मैन से सम्पर्क में रहें। मुख्य परीक्षा के उपरान्त, सम्पूर्ण राज्य के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त, विद्याज्ञान प्रांगण में पारस्परिक संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा अकादमिक अभिलेखों के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त ही विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 स्तर पर प्रवेश प्राप्त होता है।
8. आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र पर नियत स्थान में विद्यालय का 10 अंकों के U-DISE नम्बर अवश्य अंकित करें।
9. आपके विद्यालय के आवेदक विद्यार्थियों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों को भलीभाँति यह जानकारी कराने का कष्ट करें कि खण्ड शिक्षा अधिकारी से ज्ञात कर लें कि प्रारम्भिक लिखित परीक्षा केन्द्र कहाँ है। इसके साथ ही आवेदक विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें। विद्यार्थियों को इस नवीन परीक्षा प्रणाली का अभ्यास एवं अनुभव उपलब्ध कराने के साथ–साथ आपको प्रतिभा तलाश एवं तराश कर प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक चयन में भागीदार होने का गौरव प्राप्त होगा।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड तथा शिव नाडर फाउण्डेशन के मध्य समझौता ज्ञापन दिनांक 26.07.2023 की प्रति

समझौता–ज्ञापन

यह समझौता वर्ष 2023 के जुलाई माह की 26 तारीख को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड (जिसे एतद् पश्चात् "राज्य सरकार" कहा गया है) प्रथम पक्ष और शिव नाडर फाउण्डेशन जो एक पंजीकृत सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और जिसका ट्रस्ट डीड दिनांक 10.06.2008 का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के कार्यालय में कराया गया है, का पंजीकृत कार्यालय 807 सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 है, (जिसे एतद् पश्चात ''ट्रस्ट'' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है। राज्य सरकार और ट्रस्ट द्वारा सामुहिक रूप से पक्षगण एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष संदर्भित किए जाएंगे :–

– यह कि शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का इच्छुक है ।

– यह कि शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली व मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित कराकर शिव नाडर फाउण्डेशन द्वारा स्थापित आवासीय विद्यालयों (विद्याज्ञान स्कूल दुल्हेरा, बुलंदशहर एवं विद्याज्ञान स्कूल, सीतापुर) के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक की विश्व स्तरीय निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने का इच्छुक है ।

– यह कि शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड राज्य में कक्षा 6 स्तर के विद्यार्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश निर्गत करेगा ।

– अतः यह समझौता ज्ञापन उभय पक्षों के मध्य निम्नानुसार लागू होगा :–

ट्रस्ट के दायित्व

ट्रस्ट एतद् द्वारा सहमत होकर निम्नलिखित कार्यकलापों को निष्पादित करेंगें :–

1.1 उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (जिनको पृथक रूप से समय–समय पर परिभाषित किया जा सकेगा) के प्रतिभाशाली व मेधावी विद्यार्थियों (जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत बालिकायें होंगीं) को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने हेतु ट्रस्ट प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित करायेगा, जिसका वित्त पोषण तथा प्रबन्ध फाउण्डेशन / ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा ।

1.2 प्रतियोगितात्मक चयन प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक की उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा शिव नाडर फाउण्डेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद 'बुलन्दशहर एवं जनपद सीतापुर में स्थापित 'विद्याज्ञान' स्कूलों में आवासीय शिक्षा नितांत निःशुल्क प्रदान की जायेगी ।

1.3 प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम के साथ–साथ नेतृत्व गुण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन के कौशलों का सृजन किया जायेगा ।

1.4 ट्रस्ट द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं अवसर के साथ–साथ उच्च शैक्षिक पथ हेतु सर्वोत्तम सुविधायें उपलब्ध करायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी व्ययभार वहन नहीं किया जायेगा ।

1.5 उपरोक्त गुणात्मक उत्कृष्ठ शिक्षा हेतु समस्त व्ययभार ट्रस्ट / फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा ।

1.6 विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया– प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अन्तिम चरण की प्रक्रिया (जिसमें चिकित्सा परीक्षण, भौतिक सत्यापन तथा पारस्परिक संवाद सम्मिलित हैं) सम्बन्धित व्यवस्था का समस्त व्यय ट्रस्ट द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी :–

1.6.1 राज्य के जनपदों में प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर संचालित की जायेगी और इसे 'प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा' के नाम से पुकारा जायेगा और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा संचालित की जायेगी। प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा का प्रबन्ध सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के मार्ग दर्शन में मुख्य शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की सहायता से सम्पन्न करायी जायेगी ।

1.6.2 अग्रिम स्तर की परीक्षा को मुख्य परीक्षा के नाम से पुकारा जायेगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन विद्याज्ञान स्कूल द्वारा किया जायेगा, जिसमें ''प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा'' के न्यूनतम अंकों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों (बालक एवं बालिका पृथक–पृथक) को उपयुक्त अनुपात में सम्बन्धित विद्याज्ञान स्कूल के परीक्षा केन्द्र पर आमन्त्रित किया जायेगा। इस मुख्य परीक्षा के न्यूनतम आवश्यक अंकों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अन्तिम चरण का अवसर प्राप्त होगा ।

1.6.3 अन्तिम चरण में चिकित्सा परीक्षण के उपरान्त पारस्परिक संवाद तथा मूल अभिलेखों का सत्यापन कर कक्षा 6 स्तर पर विद्याज्ञान स्कूल में अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होगा ।

1.6.4 भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि आवश्यक हो तो, और पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु ट्रस्ट कार्यान्वयन एवं प्रक्रिया को आवश्यकातनुसार संशोधित कर सकेंगें जिससे प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों का चयन सम्भव हो सके। अग्रेत्तर समय – समय पर ट्रस्ट, राज्य स्तरीय एवं केन्द्र सरकार की एजेन्सीज / विभागों अथवा उनकी योजनाओं / प्रक्रियाओं के पात्र विद्यार्थियों के चयन में सहायता ले सकेगी।

1.6.5 उपरोक्त प्रक्रियाओं के रहते हुये भी विद्याज्ञान स्कूल में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में 'ट्रस्ट' का निर्णय अन्तिम होगा ।

1.7 इस समझौता–ज्ञापन के निष्पादन हेतु स्टाम्प शुल्क का व्ययभार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा ।

राज्य सरकार के दायित्व

राज्य सरकार एतद् द्वारा सहमत होते हुये निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी –

2.1 राज्य सरकार, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड / राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसे सुनिश्चित निर्देश प्रेषित करेगा जिससे अकादमिक / शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के कक्षा 5 स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों का प्रबन्धन, परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता, प्रवेश पत्र निर्गमन तथा जनपद मुख्यालय पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हेतु भवन, प्रांगण एवं परीक्षा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रसारित करेगी ।

2.2 समझौता ज्ञापन के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के मार्ग दर्शन में मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अन्य स्थानीय विभागों द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में पात्र विद्यार्थियों के अभिज्ञान एवं चयन हेतु निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग हेतु निर्देश प्रसारित करेगी ।

उभय पक्षों के दायित्व :

ट्रस्ट एवं राज्य सरकार एतद् द्वारा सहमत होकर निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करेगी :

3.1 उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु समस्त व्ययभार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, विद्याज्ञान स्कूल में प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों के निष्पक्ष चयन एवं प्रवेश हेतु सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।

3.2 इस समझौता –ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस प्रकार से कार्यवाही करेंगें जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों (न्यूनतम 40 प्रतिशत बालिकाओं सहित) का निष्पक्ष चयन हो सके ।

3.3 1. यह समझौता ज्ञापन तब तक मान्य होगा जब तक कि लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जाता । प्रत्येक पक्ष 12 महीने की अग्रिम लिखित सूचना के साथ सुविधानुसार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र होगा ।

2. उभय पक्ष इस समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में उनके बीच किसी भी विवाद को हल करने के लिये सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिये सहमत हैं। इस समझौता ज्ञापन की प्रत्येक पार्टी अपने प्रतिनिधि के रूप में उपयुक्त शक्तियों वाले व्यक्ति को नामित करेगी। ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और सद्भावनापूर्वक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगें ।

यह समझौता ज्ञापन भारतीय कानून द्वारा निर्मित और शासित होगा। यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

उपरोक्त के साक्ष्यों में श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड / राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड एवं श्री सुन्दर महालिंगम, विद्याज्ञान स्कूल शिव नादर फाउण्डेशन के ट्रस्टी ने ऊपर अंकित तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये।

शिक्षा विभाग की ओर से प्राधिकृत अधिकारी
ह०
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा / राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

ट्रस्ट की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी
ह०
(सुन्दर महालिंगम)
ट्रस्टी